तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
१८।१२।२०२४	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। बहस उभयपक्ष वकील की गयी। बाद्ते आदेश प्रा०पत्र पत्रावली दिनांक २३।१२।२०२४ को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
२३।१२।२४	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरेजात पर उभयपक्ष वकील बहस परमनन किया। प्रा०पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष वकील पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरेजात खारिज किया जाता है। अंततः प्राप्त कुरेजात, पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों तथा उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने के आधार वादी वाद दावा तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 23/12/24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

प्रकरण संख्या :–306/2022
प्रकरण दायर दिनांकः– 14.10.2022
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 23.12.2024

उनवान– 1. हरिसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. मानसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा
2. तहसीलदार बांदीकुई जरिये लैण्ड होल्डर बांदीकुई तह. बांदीकुई जिला दौसा
3. पंजीयन अधिकारी बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं.–306/2022 सन्–2022

निर्णय दिनांक 23.12.2024

वादी द्वारा वाद पत्र दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम मोराडी चक–1 तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 18 व पुराना 15 के खसरा नं. 128, 146, 148, 149, 159, 160, 202/151, 58, 59, 72, 73, 74, 75 कुल किता 13 कुल रकबा 3.39 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 95.05 पैसे स्थित है जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की सहखातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि मुतदाविया में वादी का हिस्सा 1/3 व 1/6 जमाबंदी संवत/ 2073–76 में दर्ज है। उक्त भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। प्रतिवादी उक्त भूमि मुतदाविया का बिना सरस–नरस के अनुसार बिना तकास्मा हुये नवनिर्माण करने पर आमादा है एवं वादी के हिस्से की भूमि पर वादी को बेदखल कर अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। जब वादी ने प्रतिवादी से उक्त भूमि मुतदाविया का विधिवत सरस–नरस के अनुसार तकास्मा कराने की कही तो प्रतिवादी साफ इंकार हो गये और वादी से कहा कि भूमि मुतदाविया को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर उक्त भूमि मुतदाविया से तुमको बेदखल करकें रहेंगे। इसलिये वादी को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। पक्षकारान में सरकारी सहायता व अन्य भूमि संबंधी लाभ उठाने के लिए आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है, इसलिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से उक्त भूमि मुतदाविया का तकास्मा कराने की कही, तो प्रतिवादी संख्या 01 से उक्त भूमि मुतदाविया का तकास्मा कराने की कही, तो प्रतिवादी साफ इंकार हो गये और वादी को

Scanned with OKEN Scanner

एलानियां धमकी दी कि हम उक्त भूमि का तकास्मा नहीं होने देगें व उक्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेच कर दीगर व्यक्तियों का अवैध कब्जा कराकर तुमको उक्त भूमि से बेदखल करकें रहेगें। जब तक भूमि मुतदाविया का सरस–नरस के अनुसार तकास्मा नहीं हो जाता, तब तक पक्षकारान में आये दिन विवाद उत्पन्न होते रहते है, इसलिए वादी को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि उक्त भूमि मुतदाविया पर वादी अपने हिस्से की जमीन पर काबिज काश्त है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 आये दिन वादी के कब्जे, काश्त की भूमि में मजाहमत पैदा करते रहते है एवं उक्त भूमि मुतदाविया को अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान कर उक्त भूमि मुतदाविया से वादी को बेदखल करने पर आमादा है। जब वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से उक्त भूमि मुतदाविया का सरस–नरस के अनुसार विधिवत तकास्मा कराने की कही तो प्रतिवादी साफ इंकार हो गया और वादी को एलानियां धमकी दी कि हम उक्त भूमि मुतदाविया को दीगर व्यक्तियों को रहन, बय कर व वादी के हिस्से की भूमि में अवैध कब्जा कर निर्माण कर वादी को उक्त भूमि से बेदखल करके रहेगें। इसलिए वादी को यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। दिनांक 04.10.2022 को प्रतिवादी संख्या 01, वादी के हिस्से की कब्जे–काश्त की भूमि पर दीगर लोगों को लेकर आये व बेचान करने की बात करने लगे, जब वादी ने मना किया तो वादी को एलानियां धमकी दी कि तुमको तुम्हारे हिस्से की भूमि से बेदखल कर व उक्त भूमि से तुम्हारी खातेदारी हटवाकर दीगर व्यक्तियों काा जबरिया कब्जा कराकर रहेंगे एवं उक्त भूमि मुतदाविया का तकास्मा नहीं होने दूँगा, अगर प्रतिवादी संख्या 01 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारान में गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरमियां फरीकेन चल पडेंगे, जिससे बाय से बर्बादी होगी। ऐसी सूरत में वादी को वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद, वादी बरखिलाफ प्रतिवादी संख्या 01 निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें कि भूमि ग्राम मोराडी चक–1 तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 18 व पुराना 15 के खसरा नं. 128, 146, 148, 149, 159, 160, 202/151, 58, 59, 72, 73, 74, 75 कुल किता 13 कुल रकबा 3.39 हैक्टेयर का वादी के हिस्से अनुसार विधिवत सरस–नरस के अनुसार रास्ते का ध्यान रखते हुए तकास्मा किया जाकर उक्त भूमि मुतदाविया में वादी का अलग खाता व अलग पासबुक जारी की जावें।

प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबंद फरमाया जावें कि भूमि ग्राम मोराडी चक–1 तहसील बांदीकुई जिला दौसा के खाता संख्या नया 18 व पुराना 15 के खसरा नं. 128, 146, 148, 149, 159, 160, 202/151, 58, 59, 72, 73, 74, 75 कुल किता 13 कुल रकबा 3.39 हैक्टेयर है उक्त भूमि का जब तक विधिवत सरस–नरस के अनुसार तकास्मा नहीं हो जाता, तब तक वादी के हिस्से की कब्जे, काश्त की भूमि में किसी प्रकार मजाहमत व व्यवधान पैदा करने से व वादी को जबरन भूमि मुतदाविया से बेदखल करने एवं उक्त भूमि मुतदाविया में अवैध निर्माण करने से व अन्य दीगर व्यक्तियों को रहन, बय करने से स्वयं घरवालों, नौकरो, एजेन्टो से दवामि तौर पर बाज व मुमतन्हा रहें। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण शर्मा ने वकालतनामा पेश

Scanned with OKEN Scanner

किया। उभयपक्ष वकील द्वारा वाद को प्राथमिक डिकी किये जाने बाबत सहमति प्रकट की गयी एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष वकील द्वारा सहमति प्रकट करने पर वादी वाद प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार बॉदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः 3466 दिनांकः 25.06.2024 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का उभयपक्ष वकील द्वारा अवलोकन किया गया। प्रार्थी हरिसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी ग्राम मोराडी द्वारा प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि मुतदाविया के कुरैजात हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये हैं। मौके पर तहसीलदार नहीं आये बल्कि हल्का पटवारी व गिरदावर ने प्रतिवादी से मिलकर गलत कुरैजात बनवाये हैं। प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि व मकान व बोरिंग व कुंआ को प्रतिवादी द्वारा अपने हिस्से में कुरैजात में दर्शाया गया है। जो कि कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नियम 18 से 21 के विपरीत है। कुरैजात बनाते समय प्रार्थी वहॉ पर उपस्थित नहीं था। कुरैजात में प्रार्थी को अपने कुएँ पर जाने के लिये कोई रास्ता नहीं दिया गया है व अपने मकान पर जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं दिया गया है। खसरा नं. 72 में जो प्रार्थी का पुख्ता मकान नौहरा उन पर जो विद्युत कनेक्शन प्रार्थी के नाम से है कि भूमि को कुरैजात में प्रतिवादी के हिस्से में दर्शायी गयी है एवं खसरा नं. 73 में वादी का पक्का कुआं बना हुआ है जिसमें विद्युत कनेक्शन व खसरा नं. 146 में प्रार्थी के द्वारा बनाया बोर को भी कुरैजात में प्रतिवादी के हिस्से में दर्शित कर दिया गया है एवं खसरा नं. 75 में जो प्रार्थी का मकान है उसमें जाने के लिये कोई रास्ता नहीं दिया गया है एवं खसरा नं. 58 व 59 में उपजाउ व अच्छी जमीन प्रतिवादी को दी गयी है जबकि बेकार अनउपजाउ, बंजड, जमीन प्रार्थी के हिस्से में कुरैजात में दर्शित की गयी है एवं खसरा नं. 128, 160, 159 में आने के लिए प्रार्थी को कोई रास्ता नहीं दिया गया है। इस प्रकार कुरैजात बनाते समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गयी है। इसलिये उक्त प्रकरण में पुनः कुरैजात मंगाये जाना न्यायोचित है। अतः ऐतराज कुरैजात पेश कर निवेदन है कि पक्षकारों की मौजूदगी में तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिया जावें कि पक्षकारों को विधिवत नोटिस देकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये प्राथमिक डिंक्री के अनुसार कब्जे, काश्त का ध्यान रखते हुये व रास्ते का ध्यान रखते हुये व सरस–नरस के अनुसार पुनः कुरैजात पेश करे।

अप्रार्थी/प्रतिवादी सं. 01 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात पेश किया कि उक्त भूमि मुतदाविया का हल्का पटवारी ने तहसीलदार की मौजूदगी में मौके पर जाकर उक्त कुरैजात तैयार किये हैं। वादी एवं प्रतिवादी का उक्त भूमि में 1/2–1/2 हिस्सा है। उक्त हिस्सेनुसार दोनों ही पक्षों को भूमि मिली है उक्त कुरैजात सरस–नरस के आधार पर तैयार किये गये है। वादी बेवजह न्यायालय का समय बर्बाद करने के उद्येश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो कि खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभयपक्ष वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया।

Scanned with OKEN Scanner

हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात का अवलोकन किया। कुरैजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाये गये हैं। तथा यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/वादी द्वारा प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात पेश किया है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र ऐतराज कुरैजात पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है–

वर्तमान जमाबंदी में र्ज प्रविष्टियां	प्रस्तावित कुरैजात				
	कम सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
स्व ग्राम– डी चक–1	1.	मानसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर राहिन एसबीआई शाखा बांदीकुई	146/1	0.12	चा.1जा.1
			149/1	0.18	चा.1
			128/1	0.23	चा.2 जा.2
			159/1	0.40	बा.1
			202/151/1	0.08	चा.1
			58/1	0.30	चा.1
			59/1	0.08	बा.1
			72/1	0.17	चा.1
			73/1	0.05	चा.1 जा.1
			74/1	0.05	चा.1 जा.1
			योग	1.66	

Scanned with OKEN Scanner

	2.	हरिसिंह पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 2/3 राहिन यू को बैंक बांदीकुई हरिसिंह पुत्र रामस्वरूप हि. 1/3 बिना रहन	146/2	0.11	चा.1 जा.1
			149/2	0.19	चा.1
			128/2	0.22	चा.2 जा.2
			160	0.02	बा.1
			159/28	0.40	बा.1
			202/151/2	0.08	चा.1
			58/2	0.30	चा.1
			59/2	0.08	बा.1
			72/2	0.17	चा.1
			73/2	0.05	चा.1जा.1
			74/2	0.05	चा.जा.1
			योग	1.67	
		शामिल (पूर्व के मुताबिक)	75	0.03	गै.मु. रास्ता
			148	0.03	गै. मु. चाह

नोटः– खसरा नं. 202/151 रकबा 0.16 पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का स्टे है जबकि खसरा नं. 58/0.60, 59/0.16 पर न्यायालय हाजा का स्थगन होने का कुर्रेजात में अंकन है।

कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बॉदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 23.12.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

23/12/24

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई
जज इजलास–श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई

उनवान

1. हरिसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. मानसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी श्यालावास कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा
2. तहसीलदार बांदीकुई जरिये लैण्ड होल्डर बांदीकुई तह. बांदीकुई जिला दौसा
3. पंजीयन अधिकारी बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

दावा इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा व घोषणा

मुकदमा नं.–306 / 2022 सन्–2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण वकील–श्री श्याम सुन्दर शर्मा व हाजिरी प्रतिवादीगण वकील श्री सत्यनारायण शर्मा मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिय मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बॉदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता हैतहसीलदार बॉदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। कुरैजात, निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

23/12/24

दस्तखत.....
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई
ओहदा.....

मुहर

Scanned with OKEN Scanner

	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
... अर्जी दावा ... वकालत ...टाम्प वजह सबूत ...ना वकील खर्चा ...न ...कमिश्नर ... इजराय ...ना मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

23/12/24

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner